न्यूज़ टुडे

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने छठी आकलन रिपोर्ट (Assessment Report) का तीसरा भाग प्रकाशित किया

- यह रिपोर्ट **जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति और देशों द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता के बारे में अपडेटेड वैश्विक आकलन** प्रदान करती है। साथ ही, इसमें वैश्विक उत्सर्जन के स्रोतों की भी जांच की गई है।
  - इस आकलन रिपोर्ट में **पृथ्वी की जलवायु दशाओं पर वैज्ञानिक मूल्यांकन को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।**

IPCC के बारे में

- **IPCC, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन** के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है।
- इसका उद्देश्य **सरकार के सभी स्तरों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना** है, ताकि वे जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने में इसका उपयोग कर सकें।
- इसका गठन **वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा किया गया था।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

उत्सर्जन संबंधी रुझान (Emission Trends)	○ ग्लोबल वार्मिंग को वर्ष 2100 तक **1.5 डिग्री सेल्सियस** तक सीमित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी: ➢ **विश्व द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा के अधिकतम स्तर को वर्ष 2025 तक सीमित करना होगा।** ➢ साथ ही, इसमें अगले 5 वर्षों (वर्ष 2025–2030) में 43% की कटौती करनी होगी। ○ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन **वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2019 में 54% अधिक** था। हालांकि, उत्सर्जन में वृद्धि की दर कम हो रही है।
कार्बन असमानता (Carbon inequality)	○ कार्बन असमानता हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 में **अल्प विकसित देशों (LDCs) का कुल उत्सर्जन, वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% था।**
कार्बन कैप्चर (Carbon Capture)	○ यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस तक सीमित रखना है, तो कार्बन **कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS)** तकनीक के बिना चलने वाले **कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2050 तक बंद करना आवश्यक** है।
पेरिस समझौता (Paris Agreement)	○ पेरिस समझौते के तहत की गयी प्रतिबद्धताएँ अपर्याप्त हैं। GHGs उत्सर्जन में वर्ष **2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती** करनी होगी।
मांग–पक्ष आधारित शमन (Demand-side mitigation)	○ हमारी **जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव** से वर्ष 2050 तक GHGs उत्सर्जन में 40–70% की कमी हो सकती है। इसके लिए **उचित नीतियाँ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकियाँ** आवश्यक हैं।
वित्त (Finance)	○ सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने के सामूहिक लक्ष्य के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है: ➢ **सार्वजनिक अनुदानों (public grants) में वृद्धि करने की आवश्यकता है;** ➢ विकसित देशों से विकासशील देशों में **सार्वजनिक वित्त की मात्रा** के साथ–साथ सार्वजनिक रूप से जुटाए गए **निजी वित्त प्रवाह में वृद्धि** करने की आवश्यकता है।

चेहरा पहचान प्रणाली (Facial Recognition System: FRS) चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी

- यह प्रणाली प्रथम चरण में मार्च 2023 तक **कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद** हवाई अड्डों पर स्थापित की जाएगी।
  - FRS नागरिक उड्डयन मंत्रालय की डिजी **(DiGi) यात्रा पहल** का हिस्सा है। यह प्रणाली हवाई अड्डों पर **यात्रियों को बाधा रहित और परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी।** साथ ही, यह **सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार** करेगी।
  - इस पहल के साथ, सरकार **टिकट बुकिंग, हवाई अड्डा परिसर में प्रवेश, बोर्डिंग पास, सिक्यूरिटी चेक–इन आदि को डिजिटल बनाने पर विचार** कर रही है।
- चेहरा पहचान प्रणाली (FRS) **किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है।** इसका उपयोग **फ़ोटो, वीडियो या रीयल–टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए** किया जा सकता है।
  - **कंप्यूटर एल्गोरिदम, चेहरे पर मौजूद विशिष्ट चिह्नों** जैसे कि चीकबोन (आँख के नीचे की हड्डी) के आकार, होंठों की आकृति आदि **को मैप** (खांका तैयार) करते हैं। ये फिर इन्हें एक संख्यात्मक कोड में बदलते हैं– जिसे फेसप्रिंट कहा जाता है।
  - इसके बाद सत्यापन या पहचान के लिए, यह सिस्टम **फेसप्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ, 'फेसप्रिंट' की तुलना** करता है।
- **चेहरा पहचान प्रणाली (FRS) के उपयोग:**
  - इससे एंट्री पॉइंट्स, सुरक्षा जांच आदि जैसे **चेकपॉइंट्स पर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग** संभव हो पाएगी।
  - इससे **अपराध की जांच करने में मदद** मिलेगी तथा यह आसान और तेज विश्लेषण के लिए सूचना उपलब्ध कराएगी।
  - अपराधियों, लापता बच्चों / व्यक्तियों, अज्ञात शवों आदि **पहचान** में मदद मिलेगी।
- **FRS के बारे में व्यक्त की गयी चिंताएं:**
  - सरकार इसका इस्तेमाल व्यापक निगरानी के लिए कर सकती है,
  - इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है,
  - चूंकि, भारत में अभी कोई डेटा संरक्षण कानून नहीं है, अतः इसके अभाव में ड्यू प्रॉसेस (वैध प्रक्रिया) का उल्लंघन किया जा सकता है।

सरकार ने "विदेश व्यापार नीति 2015–20" {Foreign Trade Policy (FTP), 2015–20} को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), नयी विदेश व्यापार नीति** तैयार कर रहा है।
  - मौजूदा FTP 2015–20 की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले, कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इस नीति की अवधि बढ़ा दी गयी थी।
- विदेश व्यापार नीति **आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने हेतु दिशा–निर्देश** प्रदान करती है।
  - FTP 2015–20 ने निर्यात बढ़ाने, **रोजगार** पैदा करने और **वैल्यू एडिशन** बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है।
  - FTP 2015–20 के तहत दो नई योजनाएँ घोषित की गयी थीं। ये हैं:
    - **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS):** यह विशेष बाजारों में विशेष वस्तुओं के निर्यात के लिए घोषित की गयी थी।
    - **सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS):** इसकी घोषणा अधिसूचित सेवाओं (notified services) के निर्यात को बढ़ाने के लिए की गयी थी।
- **नई विदेश व्यापार नीति के लिए अलग–अलग फोकस क्षेत्र होंगे। यह नीति–**
  - **डिजिटल सूचना से लैस** होगी।
  - विश्व स्तर पर **स्वीकार्य नीतिगत मानदंडों के अनुरूप** होगी।
  - ऐसे बाजार, **जहाँ अब तक ठीक से पैठ नहीं** बन पाया है (जैसे– अफ्रीका), वहाँ संभावनाओं को तलाशेगी।
  - **प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच** (विशेषकर सेवा क्षेत्र में) पर ध्यान देगी।
  - प्रभावी शुल्क तटस्थता (Effective duty neutralisation) पर बल देगी।

व्यापार नीति के सामने चुनौतियां

- **निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप **युक्तिसंगत बनाने के लिए बहुपक्षीय दबाव** बढ़ रहा है।
- विदेश व्यापार से संबंधित **तीन नियामक संस्थाओं** – DGFT, कस्टम और GST काउंसिल – के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है।
- इंडियन ट्रेड **क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर** में भी विसंगति (discrepancy) है। भारत में यह आठ अंकों वाला है, जबकि अधिकांश देश पहले से ही **10–अंकीय टैरिफ** नॉमेनक्लेचर का पालन करते हैं।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन (सैटकॉम/Satcom) ऑपरेटर्स ने दूरसंचार कंपनियों (Telcos) से मुकाबला करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले उपग्रहों की ओर रुख किया

- **सैटकॉम ऑपरेटर्स अब वेरी हाई थ्रोपुट सैटेलाइट्स (VHTS)** की ओर रुख कर रहे हैं।
  - **VHTS:** यह एक प्रकार का फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट (FSS) है। यह दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पिछली पीढ़ी के FSS उपग्रहों की तुलना में **काफी अधिक डेटा बैंडविड्थ** प्रदान करता है।
  - **बैंडविड्थ: यह किसी निर्धारित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रवाहित (transmitted) होने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा** को संदर्भित करता है।
- फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट (FSS) का उपयोग **टेलीविजन प्रसारण और टेलीफोन संचार में** किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट्स से सिग्नल रिसीव करने के लिए डिश–एंटीना की आवश्यकता होती है।
  - फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट को आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 35,786 कि.मी. की ऊंचाई पर **जिओ–स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट** (GEO) में स्थापित किया जाता है।
- **सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ (Satellite Internet Services: SISs):** यह एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसके तहत **इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP)** द्वारा **अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों के माध्यम** से उपयोगकर्ताओं को **इंटरनेट सिग्नल** प्रदान किया जाता है।
  - पृथ्वी की निम्नलिखित कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों के द्वारा सैटेलाइट–आधारित लो–बिट–रेट की कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है:
    - भू–स्थिर कक्षा (Geostationary orbit),
    - मध्य भू–कक्षा (Medium Earth orbit), और
    - निम्न भू–कक्षा (Low Earth orbit)।
  - सैटेलाइट इंटरनेट सेवा (SIS), सैटेलाइट टेलीविजन से अलग होती है। **सैटेलाइट इंटरनेट सेवा** में दो–तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है। साथ ही, इसके तहत **डेटा के प्रवाह के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैंडविड्थ** की आवश्यकता होती है।
  - यह **भूमिगत कॉपर / फाइबर नेटवर्क पर आधारित नहीं** होती है। **इसके तहत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और उससे ब्रॉडबैंड सिग्नल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाओं का संचालन किया जाता है।**

सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए मॉडल

- **डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल:** इसके तहत **डिवाइस** किसी भी **इंटरमीडिएट ग्राउंड गेटवे की आवश्यकता के बिना उपग्रह के साथ** प्रत्यक्ष रूप से संचार करते हैं।
- हाइब्रिड (LPWAN + सैटेलाइट) या अप्रत्यक्ष मॉडल: इसके तहत नेटवर्क में प्रत्येक सेंसर और एक्चुएटर एक इंटरमीडिएट सिंक नोड, यानी लो पावर वाइड–एरिया नेटवर्क (LPWAN) गेटवे के माध्यम से उपग्रह के साथ संचार कर सकते हैं।

- **सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के निम्नलिखित लाभ हैं:**
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों के लिए सस्ता और आसान इंटरनेट विकल्प है।
  - यह डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) की तुलना में तीव्र इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, आदि।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI) ने ओडिशा सरकार को जगन्नाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना में बदलाव लाने को कहा है

- ASI ने ओडिशा सरकार से अपनी **'श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना (SMPP)'** में बदलाव करने को कहा है। यह **पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण करने हेतु एक व्यापक परियोजना है।**
- **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) कानून** के अनुसार, **मंदिर के 100 मीटर के दायरे** में किसी प्रकार के **नये निर्माण कार्य पर रोक है।**
  - जबकि, इस परियोजना के तहत मंदिर के रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में भी सौंदर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं।
- **पुरी के जगन्नाथ मंदिर बारे में:**
  - इसका निर्माण **गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव** द्वारा किया गया था।
  - पुरी में **भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र** (पवित्र त्रिमूर्ति) की पूजा की जाती है।
  - यह भारत की **चार धाम** तीर्थयात्राओं में से एक है। चार धाम में शामिल हैं– **पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम।**
  - यहाँ मनाये जाने वाले **प्रमुख त्यौहार हैं:** स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथयात्रा, शयन एकादशी आदि।
  - मुख्य मंदिर का निर्माण **कलिंग स्थापत्य शैली** में किया गया है।
  - **स्थापत्य संबंधी अन्य विशेषताएँ:**
    - मुख्य मंदिर की संरचना घुमावदार (वक्रीय) है।
    - यह मंदिर निम्नलिखित 4 खंडों में विभाजित है–
      - रेखा देउल की शैली में **देउल, विमान और गर्भगृह** (पवित्र देवस्थान),
      - **मुखशाला** (सामने वाला मुखमंडप),
      - **नट मंदिर/नटमंडप:** इसे **जगमोहन** भी कहा जाता है, और
      - **भोग मंडप** (प्रसाद हॉल)।

सार्वजनिक–निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इनोवेशन ने इंटीग्रेटेड बायो–रिफाइनरी मिशन (IBM) की शुरुआत की

- **मिशन इनोवेशन एक वैश्विक पहल** है। इसका लक्ष्य इस दशक में **स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्षक और सुलभ** बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और डेमॉन्स्ट्रेशन (प्रदर्शन) के क्षेत्र में कार्रवाई और निवेश को बढ़ावा देना है।
  - इस पहल में 22 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। **भारत इस पहल का एक संस्थापक सदस्य है।**
  - इस मिशन का पहला चरण वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसके दूसरे चरण को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।
- **इंटीग्रेटेड बायो–रिफाइनरी मिशन (IBM) के बारे में:**
  - इस मिशन का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक जीवाश्म–आधारित 10% ईंधन, रसायन और पदार्थों को जैव–आधारित विकल्पों से बदलना** है।
  - यह **मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया छठा मिशन है।** इसके **5 अन्य मिशन निम्नलिखित हैं:**
    - स्वच्छ हाइड्रोजन (Clean Hydrogen),
    - ग्रीन पावर्ड फ्यूचर,
    - शून्य–उत्सर्जन शिपिंग (Zero–Emission Shipping),
    - कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (Carbon Dioxide Removal), और
    - अर्बन ट्रांजिशन (Urban Transitions)।
  - **इंटीग्रेटेड बायो–रिफाइनरी मिशन के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:**
    - नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोखिम से मुक्त करने के लिए **बायोरिफाइनरीज के विकास और व्यावसायीकरण** का समर्थन करना, और
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- **मिशन इनोवेशन** ने एक अन्य पहल के रूप में, **सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के लिए फंडिंग ऑपर्च्युनिटी** की भी घोषणा की है।
  - **नेशनल फंडिंग ऑपर्च्युनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स:** इसका उद्देश्य एविएशन उपयोगों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान, विकास और डेमॉन्स्ट्रेशन का समर्थन करना है।
  - **हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म:** यह फ्यूल सेल एंड हाइड्रोजन ज्वाइंट अंडरटेकिंग और मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को अनुकूलित करने वाली एक वैश्विक पहल है। इसके लिए यह ऑनसाइट उत्पादन और उपयोग पर बल देता है। साथ ही, यह नवीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और भौगोलिक पहचान को बनाए रखते हुए जल की अधिकता वाले क्षेत्रों के उपयोग पर भी बल देता है।

अन्य सुर्खियाँ

डि–नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू जनजाति {Denotified, nomadic and semi–nomadic tribes (DNTs)}

- एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से इन जनजातियों को **दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा है।**
- इससे पहले अंग्रेजों ने DNTs को **आपराधिक जनजाति कानून, 1871** के तहत अधिसूचित किया था।
  - इस कानून के तहत, लाखों खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश समुदायों को **अपराधी घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी** में रखा गया था।
- वर्ष 1952 में **कालेलकर आयोग** की सिफारिशों के आधार पर **इस कानून को समाप्त कर, इन समुदायों को "डि–नोटिफाइड"** घोषित कर दिया गया।
- ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को **कभी भी निजी भूमि या आवास का स्वामित्व प्राप्त नहीं था।** इस समुदाय के लोग सदियों से अपनी आजीविका और आवासीय उपयोग के लिए वनों और चारागाह भूमि का उपयोग करते आए हैं।

लोकसभा ने "दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022" पारित किया {Lok Sabha passes Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022}

- इसे **कैदी पहचान कानून, 1920** को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है।
- इस विधेयक में **दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए** व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित **भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण** की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है।
- **नोट:** और अधिक जानकारी के लिए, कृपया 29 मार्च 2022 का न्यूज़ टुडे देखें।

व्यापार घाटा (Trade deficit)

- इस साल भारत के व्यापार घाटे में **87.5% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई** है। **यह बढ़कर वर्ष 2021–22 में 192 अरब रुपया** हो गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में 102 अरब रुपये था।
  - जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त लागत (आयात की भरपाई के लिए) को **व्यापार घाटा** कहा जाता है।
- व्यापार घाटे में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के चलते **पेट्रोलियम आयात बिल में तीव्र** वृद्धि के कारण हुई है।
  - वित्त वर्ष 2012 में भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम आयात की हिस्सेदारी मात्र 26% थी।

स्टैंड–अप इंडिया योजना (Stand–Up India Scheme)

- स्टैंड–अप इंडिया योजना के **6 वर्ष पूरे हो गए हैं।**
- **इस योजना के बारे में:**
  - इसे **वर्ष 2016 में महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के बीच उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा** देने लिए शुरू किया गया था।
  - **स्टैंड–अप इंडिया योजना का उद्देश्य** पात्र लाभार्थी को बिना किसी जमानत के 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम–से–कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते है।

	➢ **स्टैंड–अप इंडिया योजना के तहत सरकार ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है,** बल्कि वाणिज्यिक मानकों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
पारिवारिक वानिकी (Familial Forestry)	❍ पारिवारिक वानिकी का अर्थ है **परिवार के सदस्य के रूप में वृक्ष की देखभाल करना** ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। ❍ राजस्थान की पारिवारिक वानिकी को **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD)** द्वारा जून 2021 में **लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021** प्रदान किया गया था। ➢ संधारणीय भूमि प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास में **महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कार्य को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।**
विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु गुणवत्ता डेटाबेस (WHO's air quality database)	❍ WHO ने अपने **वायु गुणवत्ता डेटाबेस के लिए वर्ष 2022 का अपडेट** जारी किया है। ❍ वर्ष 2022 के अपडेट से पता चलता है कि लगभग **संपूर्ण वैश्विक आबादी (99%) WHO की स्वीकार्य वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में श्वास लेती है।** ❍ नया वायु गुणवत्ता डेटाबेस **पहली बार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) की वार्षिक औसत सांद्रता** की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है। यह एक सामान्य शहरी प्रदूषक और पार्टिकुलेट मैटर तथा ओजोन का पूर्ववर्ती घटक है। ➢ इसमें 10 माइक्रोन (PM10) या 2.5 माइक्रोन (PM2.5) के बराबर या उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है।
स्टील स्लैग रोड (Steel Slag Road)	❍ **सूरत देश का पहला ऐसा शहर बन गया** है, जहाँ **प्रॉसेस्ड स्टील स्लैग (औद्योगिक अपशिष्ट)** से सड़क बनाई गई है। ❍ स्टील स्लैग, इस्पात विनिर्माण के दौरान निकलने वाला एक **उप–उत्पाद** है। यह इस्पात विनिर्माण की **भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले हुए स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है।** ❍ **स्टील स्लैग का उपयोग करने के लाभ:** प्राकृतिक घटकों से निर्मित सड़कों की तुलना में इससे सड़क की निर्माण लागत में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आती है। स्टील स्लैग से निर्मित सड़क कम मोटी, अधिक टिकाऊ और अल्प कार्बन फुटप्रिंट वाली होती है। ❍ **अन्य क्षेत्र जहां स्टील स्लैग का उपयोग किया जा सकता है:** ➢ मृदा की अम्लीयता में सुधार करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में, ➢ **सिलिकेट उर्वरक के रूप में,** जिससे प्लांट्स को सिलिकॉन उपलब्ध हो जाता है, ➢ **सीमेंट निर्माण में,** ➢ **अम्लीय जल के उपचार में, आदि।**
ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार पर विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट {World Wildlife Fund (WWF) report on online wildlife trade}	❍ इस रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है, जो लोक स्वास्थ्य और लुप्तप्राय प्रजातियों दोनों के लिए खतरा है। ❍ **अवैध वन्यजीव व्यापार की निगरानी के लिए भारत द्वारा की गई पहल:** ➢ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो,** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसे संगठित **वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए** स्थापित किया गया है। ➢ **अवैध शिकार विरोधी दस्ते** (उदाहरण के लिए– असम में एक सींग वाले गैंडों की रक्षा के लिए)। ➢ अलग–अलग जीवों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए अनेक परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं। उदाहरण के लिए– **ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड** का उद्देश्य तिब्बती मृग (Tibetan antelope) के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। ➢ **TRAFFIC India** एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। यह WWF का एक डिवीज़न (प्रभाग) है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर {National Cadet Corps (NCC)}	❍ NCC ने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से युक्त नदियों और झीलों सहित समुद्री तटों/ समुद्री पुलिनों (beaches) तथा अन्य जल निकायों को स्वच्छ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका नाम **"पुनीत सागर अभियान"** रखा गया है। ❍ **NCC के बारे में:** ➢ यह एक त्रि–सेवा संगठन (tri–service organization) है। इसे **कुंजरू समिति** की सिफारिशों के आधार पर और **राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948** के माध्यम से वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। ➢ इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए **स्वैच्छिक भागीदारी** का प्रावधान है। ➢ इसका उद्देश्य कैडेट्स के लिए सशस्त्र बलों की भांति अभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित करना है। साथ ही, यह सामुदायिक सेवाओं में भी भागीदारी करता है।
नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NVLI)	❍ यह **संस्कृति मंत्रालय की एक पहल** है। यह एक ऐसा मंच है, जो पूरे भारत में विभिन्न रिपॉजिटरी और संस्थानों से सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक डेटा संग्रहित करता है। ❍ इसका उद्देश्य **अलग–अलग सांस्कृतिक कलाकृतियों के डिजिटल संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना है।** साथ ही, इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच उनकी साझा विरासत के बारे में जागरूकता और सामूहिक स्वामित्व की भावना पैदा करना भी है। ❍ इसके तहत **आई.आई.टी. बॉम्बे ने भारतीय संस्कृति पोर्टल** विकसित किया है। **यह इतिहास, संस्कृति आदि से संबंधित जानकारी के लिए एकल स्रोत के रूप में काम करेगा।**

शुद्धिपत्र: 3 और 4 अप्रैल न्यूज टुडे में, एक ग्राफिकल त्रुटि के कारण, भारत और पाकिस्तान को अश्गाबात समझौते का हिस्सा नहीं बताया गया था। दोनों देश (भारत और पाकिस्तान) भी अश्गाबात समझौते का हिस्सा हैं।